हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला–171009

''विधिक सेवा का जन–जन को यही है पैगाम। निर्धन को सस्ता न्याय मिले इसी का है संग्राम''

आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाएं, असहाय, बच्चे, ऐसी पत्नी, नाबालिग बच्चे या बूढ़े माता–पिता जिनका कोई अपना भरण–पोषण का सहारा नहीं है और जिन्हें उनके पति/पिता ने छोड़ दिया है या बच्चे बूढ़े माता–. पिता के बुढ़ापे में लाठी नहीं बनते हैं यानि उनको सहारा और उनको भरण–पोषण का खर्च नहीं देते हैं को कानूनी अधिकारों से अवगत करवाने या जो अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयासरत है।

कोई भी पात्र व्यक्ति जो गरीबी, अज्ञानता और अनपढ़ता के कारण अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।

निःशुल्क कानूनी सहायता के लिये पात्रता :

विधिक सेवा अधिनियम, 1987 के अनुसार वह सभी व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं जो :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों; या
(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार या बेगार का शिकार हों; या
(ग) महिला या बालक हों; या
(घ) मानसिक रोगी या विकलांग व्यक्ति हों; या
(ङ) अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक संकट के शिकार हों; या
(च) औद्योगिक श्रमिक हों; या
(छ) कारागृह, किशोर, मनोचिकित्सा अस्पताल, मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति हों; या
(ज) ट्रांसजैंडर समुदाय से सम्बन्धित हो; या
(झ) ऐसे व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3,00,000/– (तीन लाख) रुपये से कम हो; या
(ञ) एच आई वी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति हों।

मुफ्त कानूनी सहायता के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं :

(1) सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना व पात्र व्यक्ति को वकीलों के पैनल में से वकील चुनने की सुविधा देना।
(2) न्याय शुल्क (Court Fee) देना।
(3) टाईपिंग और याचिकाओं तथा दस्तावेजों को तैयार करने में होने वाला खर्च उठाना।
(4) गवाहों को बुलाने पर होने वाला खर्च देना।
(5) मुकद्दमों से सम्बन्धित अन्य खर्च देना।
(6) मुफ्त कानूनी सेवा में किसी मुकद्दमें में कानूनी सलाह प्राप्त करना।

विधिक सेवा कहां से प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करने का तरीका :

(1) उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव (पंजीयक), उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति;
(2) उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव (पंजीयक सतर्कता);
(3) जिला स्तर पर जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष; तथा
(4) उप–मण्डल स्तर पर उप–मण्डल में नियुक्त वरिष्ठ उप–न्यायाधीश एवं उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष।

विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति सादे कागज़ पर उपरोक्त लिखित से सम्पर्क कर सकते हैं अगर आवेदनकर्ता की वार्षिक आमदनी तीन लाख रुपये से कम है तो ऐसे व्यक्ति को अपने आवेदन के साथ आय प्रमाण–पत्र या आय की घोषणा लगानी जरूरी है। यदि आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण–पत्र लगाना आवश्यक है।

हि0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं :

(1) हिरासत में रखे गये व्यक्ति को तुरन्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के सभी दण्डाधिकारियों (Magistrtes) की अदालतों में ''कानूनी सहायता वकीलों'' की नियुक्ति की गई है।

(2) कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान हेतु एक वैधानिक मंच प्रदान करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में स्थाई व सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं।

(3) गांव, जनजातीय और पिछड़े इलाकों में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है।

(4) समय–समय पर लोक अदालतों का आयोजन।

(5) सभी न्यायालयों में फ्रन्ट ऑफिस, किशोर न्याय बोर्ड (JJB), जेलों में, गांवों में व विश्वविद्यालयों में लीगल एड क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम 2019 एवं नालसा स्कीम :

इस योजना के अंतर्गत पीड़ित या उनके आश्रित जिन्होंने अपराध के कारण क्षति या चोट सहा हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है उनके मुआवजा के लिए धनराशि का प्रबंध किया गया है।

पीड़ित :

पीड़ित वह व्यक्ति है जो अपराध के कारण स्वयं क्षति या चोट सहा हो और जिसे पुनर्वास की आवश्यकता है। पीड़ित के अंतर्गत उसके परिवार के सदस्य जो उस पर आश्रित है, वह भी शामिल है।

निःसंकोच मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठायें

''हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन सभी योजनाओं को लागू करने के लिए वचनबद्ध है जिसके द्वारा उन लोगों को समय पर प्रभावी ढंग से कानूनी सहायता प्रदान की जा सके जो स्वयं इसका लाभ उठाने की स्थिति में न हो''।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें :–

बिलासपुर
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर 174001
01978-221452

चंबा
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंबा 176310
01899-226309

हमीरपुर
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर 177001
01972-224399

कांगड़ा
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा 176215
01892-222370

किन्नौर
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर 172001
01786-223605

कुल्लू
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू 175101
01902-222378

मंडी
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी 175001
01905-223428

शिमला
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला 171005
0177-2832808

सिरमौर
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरमौर 173001
01702-224749

सोलन
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन 173212
01792-220713

ऊना
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना 174303
01975-225071

''जो वर्षों से पिछड़े हैं, जो न्याय से बिछड़े हैं, उनको न्याय दिलाना है, नया संदेश लाना है।''

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

ब्लॉक नंबर 22, एस.डी.ए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश 171009
Phone: 0177 2623862, Toll Free: 15100, E-Mail: mslegal-hp@nic.in